आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल

कमांक/एस.एच.ए/ए.बी./2024/4438 — भोपाल, दिनांक 26/12/2024

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषयः— आयुष्मान योजना के सफल कियान्वन हेतु शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत जिला समन्वयक एवं आयुष्मान मित्र के कर्तव्यों के संबंध में।

संदर्भः— कमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2022/459 भोपाल, दिनांक 17/02/2022।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नियुक्त आयुष्मान जिला समन्वयक एवं आयुष्मान मित्रों के कार्य और उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में दिए गए दिशा—निर्देश निम्नलिखित हैंः—

जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व निम्नानुसार हैः—

1. आयुष्मान योजनातंर्गत संबद्ध शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पिटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ आयुष्मान मित्रों के दैनिक कार्यो की निगरानी करना।
2. योजनातंर्गत संबद्ध समस्त शासकीय चिकित्सालयों में पदस्थ समस्थ आयुष्मान मित्रों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना तथा आयुष्मान योजना के सुचारू कियान्वयन में मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले आशा/जी.आर. एस./आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करना।
3. जिला स्तर एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ सक्षम अधिकारी को समय—समय पर आयुष्मान योजनांतर्गत कार्य विवरण/प्रगति से अवगत कराना तथा उनसे समन्वय करना साथ ही, समय—समय पर राज्य स्वास्थ्य ऐजेंसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना।
4. Transaction Management System (TMS), Hospital Engagement Module (HEM)] Beneficiary Identification System (BIS) पोर्टल एवं आयुष्मान App आधारित तकनीकी समस्याओं के संबंध में State Health Agency, आयुष्मान नोडल एवं सक्षम अधिकारी को अवगत कराना एवं त्वरित निराकरण हेतु National Health Authority तथा State Health Agency से प्राप्त दिशा—निर्देश के कम में उसका निराकरण सुनिश्चित करना।
5. जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली आयुष्मान संबंधी विभिन्न कार्यकमों में आयुष्मान कार्ड एव Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय करना।
6. User Management Portal (UMP) से संबंधित सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
7. शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑपरेटर— BIS आई डी बनाने से संबंधित कार्य का कियान्वयन करना।
8. District Implementation Unit (DIU)/ District Grievance Redressal Committee (DGRC) से समन्वय कर वांछित सहयोग प्रदान करना।
9. चिकित्सालय परिसर एवं प्रमुख स्थलों पर योजना संबंधी प्रचार—प्रसार सामग्री के प्रदर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(कार्यालय आयुष्मान भारत एवं जिले स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा समय—समय पर दिए गए आवश्यक कार्य)

आयुष्मान मित्र से संबंधित विवरण व कार्य दायित्व निम्नानुसार हैः—

1. **आयुष्मान मित्र की तैनातीः—** शासकीय चिकित्सालयों में MD India Pvt. Ltd. (Beneficiary Facilitation Agency) के माध्यम से आयुष्मान मित्र नियुक्त किए गए हैं जिससे वह योजना के समस्त लाभो के बारे में लाभार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करे तथा योजना के संबंध में समस्त जानकारी उपलब्ध करावे ।

2. **सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किट उपलब्ध कराना:–** Beneficiary Facilitation Agency (BFA) एजेंसी के माध्यम से आयुष्मान मित्र को आवश्यक उपकरण और किट उपलब्ध कराई गई हैं जिससे वे लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदाय कर सकें।
3. **बीआईएस (Beneficiary Identification System):–** आयुष्मान मित्र एबी पीएम–जेएवाई के तहत लाभार्थियों (भर्ती मरीजो को प्रथमिकता) की पहचान, प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।
4. **टीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण:–** आयुष्मान मित्र द्वारा टीएमएस पोर्टल पर लाभार्थियों का पंजीकरण (Transaction Management System) करना।
5. **क्लेम दर्ज करना और फीडबैक देना:–** आयुष्मान मित्र टीएमएस पोर्टल पर Medco के सहयोग से क्लेम दर्ज करते हैं और Query का समय पर उत्तर देते हुये Claim Process/Claim Submission का कार्य करना ताकि लाभार्थियों को समय पर सेवाएं मिल सकें।
6. **Hospital Engagement Module (HEM) पर इम्पेनलमेंट आवेदन प्रस्तुत करना :–** आयुष्मान मित्र द्वारा **HEM** पोर्टल का संचालन किया जा कर और EHCP (Empanelled Health Care Provider) से अनुमोदन के बाद HEM (Hospital Engagement Module) में सभी आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी को अपलोड किया जाना।
7. **Health Facility Registry (HFR) एवं Health Professional Registry (HPR) संबंधी कार्य:–** पदस्थ आयुष्मान मित्र द्वारा शासकीय संबद्ध चिकित्सालयों की HFR (Health Facility Registry) तथा चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टॉफ की HPR (Health Professional Registry) बनाये जाने संबंधी कार्य करना।

ये दिशा–निर्देश जिला समन्वयक एवं आयुष्मान मित्रों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करते हैं और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं, जिससे योजना के लाभार्थियों को बेहतर और सुचारु सेवाएं प्रदान की जा सकें।

अतः अनुरोध है कि, उपरोक्तानुसार आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना मे पदस्थ जिला स्तर पर अमलो के कार्यो की सतत् निगरानी की जाए और अपेक्षानुसार कार्य न होने की स्थिति मे उचित कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

संलग्नक :– जिला समन्वयक एवं आयुष्मान मित्रो की जिलेवार संख्यात्मक सूची।

(तरूण राठी)
आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक /एस.एच.ए/ए.बी/2024/4439
भोपाल, दिनांक 26/12/**2024**

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिला म.प्र.।
4. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
5. महाप्रबंधक (ऑपरेशन), आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
6. महाप्रबंधक (विधि), आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (समस्त), म.प्र.।
8. जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी समस्त जिला म.प्र.।
9. संभागीय चिकित्सा अधिकारी (समस्त), आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.।

आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश